



सत्यमेव जयते

सी०सं० ४० (34) / निबन्धन/ हरिद्वार/ 97-98 / के०सू०शा०/ 1276 / दिनांक 20-4-98

भारत सरकार

(वित्त-मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त
भैंसाली ग्राउण्ड, मेरठ।

विषय :- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-क में निबन्धन हेतु

न्यास/संस्था का नाम एवं पता.....

दिव्य प्रेम सेवा मिशन,
शाना भवन, बगीचीनगर, सप्तशरोवर, पो० साधुबेला, हरिद्वार

दिनांक 27-1-97 को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-क के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समय के भीतर दिया है। इसलिए निबन्धन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-क के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा 12-क के आवेदन रजिस्टर में क्रम

संख्या 44/ हरिद्वार/ 97-98 पर की गई है।

(Handwritten Signature)
(~~.....~~)
(भरत नाथ सिंह)
आयकर आयुक्त
मेरठ।



प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. न्यास/संस्था उपरोक्त को कृपया यह बतायें कि न्यास/संस्था आयकरदाता की सूची में है? यदि ऐसा है तो कृपया पूर्ण विवरण के साथ स्थाई लेखा संख्या भी बतायें।
2. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त, वार्ड/सर्किल हरिद्वार को इस आशय के साथ कि न्यास/संस्था से लेखा विवरण, सगठन के विलेख/स्मृति-पत्र की प्रति आदि आवश्यक कार्रवाई के लिये संलग्न है।
3. आयकर उपायुक्त केहराडू को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(Handwritten Signature)
(~~.....~~)
आयकर अधिकारी (केन्द्रीय सूचना शाखा) तृतीया
कृते-आयकर आयुक्त, मेरठ।